342

न्यायालय राजस्व मंण्डल म.प्र ग्वलियर

प्र.क / /2016 (निगरानी) R 4119-I-16

पूना पुत्री सनमुख पत्नी रामप्रकाश
जाति ब्राहम्मण निवासी वोहारा जिला
भिण्ड –मृतक द्वारा वारिसान.
1. श्रीमती अनीता पत्नी गुड्डू जाति
ब्राहम्मण निवासी सोनी तहसील मेहगॉव,
जिला भिण्ड म.प्र।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी विनोद कुमार
जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम मछरिया
तहसील मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र)
आवेदकगण

श्री पी. के. तिवारी एड.
द्वारा आज दि. 3-12-16
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

667
3-12-16

3-12-2016

बनाम

मृतक, सनमुख पुत्र वारेलाल जाति
ब्राहम्मण निवासी शिकार पुरा ,तहसील
मिहोना जिला भिण्ड म.प्र द्वारा वारिसान.
1. श्रीमती लच्छो पत्नी स्व॰ सनमुख
निवासी शिकार पुरा तह मिहोना जिला
भिण्ड (म.प्र)
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री सनमुख पत्नी
राजाराम जाति ब्राहम्मण निवासी मिहोना
तह मिहोना. जिला (भिण्ड)
3. श्रीमती राजेन्द्री पुत्री सनमुख पत्नी
कढोरे जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम ररी
तह॰ मिहोना.
4. श्रीमती सुमन पुत्री सनमुख पत्नी
बबलू जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम
चॉदोखा तह॰ मिहोना
5. श्रीमती गत्तो पुत्री सनमुख पत्नी
आंनद जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम ररी
तह मिहोना जिला भिण्ड (म.प)
अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा .50 म.प्र भू.रा संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18.10. 2016 प्र.क .20 /2011–12 अ.6 द्वारा पारित तहसीलदार मिहोना जिला भिण्ड म.प्र।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रास्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि मौजा सिकरी जागीर में स्थित खाता कमांक 235 वर्ष 2010–2011 में अंकित भूमि सर्वे कमाक 371 रकवा 0.65 व 394 रकवा 0.13 व 395 रकवा 0.38 व 396 रकवा 0.13 किता .4 कुल रकावा 1.29 हे. लगानी 19.15 ... सिकरीजागीर में स्थित खाता कमांक 545 वर्ष 2010–11 अंकित

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4119-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	